तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही ...
15/9/20	आनुलाय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली वास्ते T.I आदेश हेतु दिनांक 22/9/20 को पेश हो।
22/9/20	पत्रावली पेश: हुई। प्रार्थी व प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली को आज दिनांक में लिये जाने हेतु निवेदन किया गया । पत्रावली तलब की गयी । प्रार्थी वकील ने निवेदन किया की मौजा टापरा के खसरा न0 340 रकबा 147.03 बीघा, खसरा न0 289 रकबा 6.11 बीघा, खसरा न0 292 रकबा 03.10 बीघा, खसरा 294 रकबा 00.06 बीघा कुल रकबा 157.10 बीघा में प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का संयुक्त मौखिक बंटवाडा किया हुआ है। पैतृक राजस्व भूमि का नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के मार्क 'ए' 'बी' 'सी' 'डी' मेघा हाईवे की तरफ आवागमन बन्द नहीं करे एवं कब्जा हेतु पक्का निर्माण नहीं करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया । प्रार्थीगण अपनी वादग्रस्त खसरान मे अपने हक हिस्से 1/3 पर रवासीय ढाणी, टांके व मेडबंदी तथा खाद आदि डाल कर उपजाउ बनाया गया लेकिन विप्रार्थीगण अपनी हरकतो से बाज नही आ रहे है एवं प्रार्थीगण के हिस्सा की किमती भूमि पर कब्जा करने हेतु आमादा है। प्रार्थी वकील को सुना गया तथा संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया । प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण भूमि की जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार दोनो पक्षकार सहखातेदार एवं उनके हिस्से नही दर्शाये हुए है। जबकी प्रार्थीगण ने 1/3 हिस्सा भूमि होना बताया है जिसका कोई आधार बाबत दस्तावेज पेश नहीं किया हे इससे जाहिर होता है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण नही प्रतीत होता एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होना साबित नहीं है। विप्रार्थीगण के जबाब का आवलोकन कर उक्त परिस्थितियों में विप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner